Sent through E-mail

RKVY

राजस्थान सरकार

निदेशालय गोपालन

पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर–302015

Phone. 0141-2740819,2740519, 2744229 (T/F) 2740613, e-mail :- dir.dgs@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ.वी. 4 (4)/निगो/प्लान/आर.के.वी.वाई./2014–15–II/8713-60 दिनांकः– 06.09.2017

1. **समस्त जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक**
2. **संयुक्त निदेशक, राज्य रोग निदान केन्द्र,**
3. **समस्त उप निदेशक, क्षेत्रिय रोग निदान केन्द्र,**
   पशुपालन विभाग, (राज.)।

विषयः– सघन सांड पंजीकरण अभियान दिनांक 25.08.2017 से 25.09.2017 बाबत।

प्रसंगः– निदेशालय गोपालन का पत्रांक 7998–8040 दिनांक 18.08.2017 एवं ई–मेल दिनांक 06.09.2017.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र एवं ई–मेल के क्रम में लेख है कि RKVY अन्तर्गत **सघन सांड पंजीकरण अभियान दिनांक 25.08.2017 से 25.09.2017 तक** आपके निर्देशन में क्षेत्रिय व.प.चि. अधिकारी/प.चि. अधिकारियों के माध्यम से गौशालाओं में स्थित उन्नत नस्ल के सांडों को चिन्हित कर रोग निदान केन्द्रो द्वारा सीरम सेम्पल एकत्रित करवाकर उनकी एस.टी.डी. जांच करवायी जानी है। जांच में नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने की स्थिति में सांड का पंजीयन एवं तीन वर्षीय बीमा किया जाना है। इस बाबत समस्त निर्देश पूर्व में दिये जा चुके है। (देखे निदेशालय गोपालन की वेब साईट)

योजना में प्रावधित राशि विभाग को प्राप्त हो चुकी है जिसके आवंटन के संदर्भ में वित्त विभाग से आहरण वितरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त होते ही गौशाला संचालकों, बीमा, रोग निदान केन्द्रो एवं संयुक्त निदेशक कार्यालय हेतु शीघ्र ही आवंटित कर दी जावेगी।

अतः आपके अधीनस्थ आर.के.वी.वाई. नोडल अधिकारियों को क्षेत्रिय पशुचिकित्सा अधिकारियों, रोग निदान केन्द्रों, बीमा अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुऐ **लक्ष्यानुसार निश्चित कार्य अवधि एवं कार्ययोजना अनुसार** कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करावें।

निदेशक

क्रमांकः–एफ.वी. 4 (4)/निगो/प्लान/आर.के.वी.वाई./2014–15–II/ दिनांकः–

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, प.पा.वि., राज. को निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

निदेशक